भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 956

11 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

इस्पात उद्योग की सहायता किया जाना

956. श्री सुशील कुमार गुप्ता:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के विकास पथ में इस्पात उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है;

(ख) यदि हां, तो इस्पात उद्योग की सहायता करने और पूरे इस्पात क्षेत्र के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान क्या नई पहल की गई हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि उभरती मांग को पूरा करने के लिए घरेलू इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देकर भारत आत्मनिर्भर बन सके?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

(क) से (ग): जी हां। इस्पात क्षेत्र देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है चूंकि यह निर्माण, अवसंरचना, ऑटोमोबाइल्स, इंजीनियरिंग तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए अनिवार्य है। इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है तथा इस्पात उत्पादन, घरेलू खपत और निर्यात से संबंधित निर्णय एकल इस्पात उत्पादकों द्वारा बाजार की मांग एवं अन्य वाणिज्यिक व्यवहार्यताओं के आधार पर लिए जाते हैं। तथापि, सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान इस्पात उदयोग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

i. गैर-मानकीकृत इस्पात के विनिर्माण तथा आयात को रोकने और जनता के लिए गुणवत्तापूर्ण इस्पात उत्पादों को व्यापक रूप से उपलब्ध कराने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को अधिसूचित करना।

ii. देश में 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना।

iii. भारत के इस्पात क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए कतिपय इस्पात उत्पादों पर एंटी डम्पिंग (एडीडी), प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) जैसे कारोबारी सुधारात्मक उपायों के अंशांकन (कैलिब्रेशन) सहित इस्पात उत्पादों तथा कच्ची सामग्रियों पर आधारभूत सीमा शुल्क में समायोजन

iv. देश में अवसंरचना, आवासन और विनिर्माण क्षेत्रों में इस्पात के उपयोग और समग्र माँग को बढ़ावा देने के लिए रेलवे, रक्षा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवासन, नागर विमानन, सड़क

परिवहन और राजमार्ग, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों जैसे संभावित हितधारकों के साथ सहभागिता।

v. केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उद्योग संघों तथा स्वदेशी इस्पात उद्योग के अग्रणियों सहित विभिन्न हितधाकरकों से बातचीत।

इसके अतिरिक्त, देश को इस्पात के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं:

i. इस्पात उत्पादकों को नीतिगत सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय इस्पात नीति-2017

ii. सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं द्वारा मेड इन इंडिया इस्पात की अधिप्राप्ति को बढ़ावा देने हेतु घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति।

iii. स्वदेशी रूप से उत्पादित स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।

*****